

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-16/2011)/अलेसे -III/511-14

दिनांक :- 19.03.2015

आदेश

श्री पुरुषोत्तम दाधीच, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर को उनके आवेदन एवं कोषाधिकारी, उदयपुर द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में दिनांक 18.07.2013, 19.07.2013 एवं 26.07.2013 कुल 03 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम नं० एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 पार्ट-I जयपुर दिनांक 11 जून, 2014 के अनुसार श्री पुरुषोत्तम दाधीच, कनिष्ठ लेखाकार का परिवीक्षा काल यथावत 02 वर्ष का ही होगा।



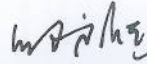
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(पी-16/2011)/अलेसे -III/511-14

दिनांक :- 19.03.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर को श्री पुरुषोत्तम दाधीच, क० लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री पुरुषोत्तम दाधीच, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर शाखा।



(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)